

भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS

मानक चिह्न लगाने की अनुज्ञप्ति (लाइसेंस)
Licence for the use of STANDARD MARK

अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) सं० सीएम/एल- 8378291
LICENCE NO. CM/L- 8378291

1. यह ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर
मेसर्स एम.केय एसोसियेट्स प्रा.लि.,
1950, रामलीला ग्राउंड,
दिल्ली रोड, मेरठ उ.प्र.
कार्यालय :- 137, पंजाबी पुरा, दिल्ली रोड,
मेरठ उ.प्र.

को (जिसे इसमें आगे 'अनुज्ञप्तिधारी' कहा गया है), इसकी प्रथम अनुसूची के पहले कालम में दिखाए गए मानक चिह्न का उपयोग करने को अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्रदान करती है। इस मानक चिह्न का उपयोग ऐसी वस्तु पर/प्रसंस्करण के संबंध में किया जाएगा जिसका उल्लेख इसकी उक्त अनुसूची के दूसरे कालम में किया गया है। यह वस्तु/प्रसंस्करण उक्त अनुसूची के तीसरे कालम में उल्लिखित संबंधित भारतीय मानक के अनुसार विनिर्मित होगी/के अनुरूप होगा।

1. By virtue of the power conferred on it by the BUREAU OF INDIAN STANDARDS ACT, 1986 (63 of 1986) the BUREAU hereby grants to

M/s M.Kay Associates Pvt. Ltd.
1950, Ram Lila Ground,
Delhi Road, Meerut (UP).
Office Add: 137, Punjabi pura, Delhi Road
Meerut (UP).

(hereinafter called 'the licensee') this licence to use the Standard Mark set out in the first column of the First Schedule hereto, upon or in respect of the article/process set out in the second column of the said Schedule which is manufactured in accordance with/conforms to the related Indian Standard(s) referred to in the third column of the said Schedule as from time to time amended or revised.



2. इस अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के साथ वे अधिकार और बाध्यताएं हैं जिनका अनुबंध उक्त अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों में है। अनुज्ञप्तिधारी अपनी बाध्यताओं का अनुसरण करते हुए, इसकी दूसरी अनुसूची में उल्लिखित चिह्न लगाने की नियत फीस सम्यक् रीति से और नियत समय पर देगा तथा परीक्षण और निरीक्षण की उस स्कीम को, जिसकी प्रति संलग्न है, ब्यूरो की संतुष्टि के अनुरूप चलाएगा।

2. This licence carries the rights and obligations stipulated in the Regulations made under the above mentioned Act. In pursuance of his obligations, the licensee shall pay in due manner and time the scheduled Marking Fee set out in the Second Schedule hereto and maintain to the satisfaction of the BUREAU the Scheme of Testing and Inspection a copy of which is attached hereto.

3. यह अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) 15 सितम्बर 2000 से 14 सितम्बर 2001 तक विधिमान्य रहेगी और विनियमों में विहित रूप में इसका नवीकरण हो सकेगा।

3. This licence shall be valid from Fifteenth September Two Thousand to Fourteenth September Two Thousand and One to and may be renewed as prescribed in the Regulations.

आज दो हजार
हस्ताक्षरित तथा मुद्रांकित।

के सितम्बर मास के पांचवें दिन

Signed, Sealed and Dated this
Two Thousand

Fifth day of September

भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से
for BUREAU OF INDIAN STANDARDS

अपर/उप महानिदेशक
Addl/Dy. Director General